O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 1881
Date 31 JUL 2020
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE Web
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक 16/2020 दिनांक 15.06.2020

श्रीमती शोभना सिंह
भिलाई, जिला– दुर्ग — अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर — प्रतिअपीलार्थी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 21/07/2020 को पारित)

आवेदिका श्रीमती शोभना सिंह, भिलाई की ओर से प्रकरण पर जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती शोभना सिंह द्वारा आवेदन दिनांक 02.01.2020 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी से निम्न जानकारी चाही गई है :–

CSEB के 5 कंपनियों में विभाजित होने के बाद विभिन्न कंपनियों में नियुक्त हुए सहायक यंत्रियों के किसी एक कंपनी में चयनित होने के बाद दूसरी कंपनी में संविलियन पर जाने हेतु प्राप्त हुए आवेदनों की प्रमाणित प्रति इन पर की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति एवं इस तरह के संविलियन के आवेदनों को मान्य करते हुए जारी किये गये समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रति।

जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदिका को कुल 100 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है। जिससे असंतुष्ट होकर आवेदिका द्वारा प्रथम अपील आवेदन दिनांक 15.06.2020 इस कथन के साथ प्रस्तुत की गई है कि उन्हे आधे–अधूरे जानकारी उपलब्ध करायी गई है। जिसे अपील प्रकरण पंजीयन क्रमांक 16/2020 दिनांक 15.06.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(3) प्रथम अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 14.07.2020 को सांय 4.00 बजे निर्धारित कर, पत्र क्रमांक 25 दिनांक 26.06.2020 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी एवं आवेदिका को सूचित किया गया।

नियत तिथि को आवेदिका एवं जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (Deem Public Information Officer) उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/–टीप में आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक (होल्डिंग कंपनी) के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी 50 पृष्ठों से अधिक है। अतः आवेदिका द्वारा संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कर, जानकारी चिन्हित किये जाने पर उसे जानकारी नियमानुसार उपलब्ध करायी जा सकती है। उक्ताशय की जानकारी पत्र कमांक 404 दिनांक 29.01.2020 के माध्यम से आवेदिका को निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध करा दिया गया था।

आवेदिका द्वारा आवेदन दिनांक 10.02.2020 जो इस कार्यालय में दिनांक 10.02.2020 को प्राप्त हुआ है के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वह दस्तावेज का अवलोकन नही करना चाहती है, अतः उन्हे पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

लेख है कि छ0 ग0 राज्य में नोबल कोरोना वायरस (COVID –19) के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक निरंतर लॉकडाउन की स्थिति थी। दिनांक 03.05.2020 से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति कार्यालय में 30 से 50 प्रतिशत तक होने से दैनंदिनी व समय–सीमा प्रकरण मामले एवं सूचना का अधिकार संबंधी कार्य प्रभावित हुए है।

संबंधित प्रभाग (Deem Public Information Officer) के द्वारा दिनांक 12.05.2020 को उक्त जानकारी कुल 100 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई। तद्पश्चात आवेदिका को धारा 7(1) के अंतर्गत कुल 100 पृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रूपये 200/–मात्र का अभिलेख शुल्क का भुगतान करने बाबत् पत्र कमांक 1220 दिनांक 14.05.2020 के माध्यम से सूचित किया गया। आवेदिका द्वारा उक्त शुल्क का भुगतान नगद के माध्यम से किया गया, तद्पश्चात् कार्यालयीन पत्र कमांक 1238 दिनांक 15.05.2020 के माध्यम से आवेदिका द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को कुल 100 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, आवेदिका एवं जन सूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) आवेदिका का तर्क कि जनसूचना अधिकारी द्वारा वर्ष 2015 तक की जानकारी उपलब्ध करायी गई है जबकि वर्ष 2015 के बाद भी संविलियन संबंधी आदेश जारी हुए है। तथापि जो जानकारी उन्हे जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई है उसमें संलग्न नोटशीट में अंकित टीप को छुपा कर प्रदान करायी गई है, जो आधे–अधूरे है जो सूचना का अधिकार का उल्लंघन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाही गई जानकारी जिस रूप में है उसी रूप में पूर्णतः आवेदिका को उपलब्ध करायी जानी है। वर्ष 2015 के बाद भी संविलियन संबंधी आदेश जारी किया गया है। वस्तुतः वर्ष 2015 के बाद जारी आदेशों से संबंधित अन्य दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध है जिसे आवेदिका को उपलब्ध नही कराया गया है। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में इस तरह के संविलियन के आवेदनों को मान्य करते हुए जारी किये गये समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया है, जिसे उन्हे उपलब्ध नही कराया गया है। अतः निवेदन है कि उन्हे पूर्ण जानकारी अतिशीघ्र उपलब्ध करायी जावे।

(iii) संबंधित प्रभाग के (Deem Public Information Officer) का तर्क है कि आवेदिका द्वारा जो जानकारी चाही गई है वही जानकारी/दस्तावेज उन्हे उपलब्ध कराया गया है। जहॉ तक वर्ष 2015 के बाद संविलियन संबंधी जारी हुये आदेश व दस्तावेज का प्रश्न है उक्त दस्तावेज संज्ञान में नही है। अपितु पूर्व के आवेदानुसार आवेदिका को सहायक यंत्री के पदों से संबंधित जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जा चुकी है। तथापि आवेदिका द्वारा सहायक यंत्री पदो के अतिरिक्त अन्य पदो के संबंध में जानकारी/दस्तावेज हेतु जनसूचना अधिकारी के समक्ष

नियमानुसार पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्हे जानकारी/दस्तावेज नियमानुसार उपलब्ध कराया जा सकता है। तदैव वर्ष 2015 के बाद से संबंधित दस्तावेज कार्यालयीन अभिलेखों में खोजबीन की जावेगी। तद्पश्चात् उक्त जानकारी/दस्तावेज के वस्तुस्थिति से तथा नोटशीट की प्रति पूर्ण रूप में जनसूचना अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी जावेगी।

आवेदिका का यह कथन कि इस तरह के संविलियन के आवेदनों को मान्य करते हुए जारी किये गये समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है आवेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र में केवल सहायक यंत्रियों के ही संविलियन के संबंध में जानकारी चाही गई है, अतः उन्हे सहायक यंत्रियों से संबंधित जानकारी ही उपलब्ध करायी गई है।

जैसा कि आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी के विस्तृत स्वरूप में होने के दृष्टिगत ही आवेदिका को पूर्व में दस्तावेज का अवलोकन कर जानकारी चिन्हित करने बाबत् सूचित किया गया था, किन्तु उनके द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन न कर जानकारी उपलब्ध कराये जाने विषयक अनुरोध किया गया है। तदउपरांत कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर आवेदिका को जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 04/—टीप में जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही नियम संगत है। एवं कंड़िका 05/—टीप के पैरा (iii) में दिये गये तर्क आवेदिका के भ्रम के निवारण हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते है।

जहॉ तक अपील का प्रश्न है संबंधित प्रभाग के (Deem Public Information Officer) कंड़िका 05/—टीप के पैरा (iii) टीप के दृष्टिगत जानकारी/दस्तावेज के वस्तुस्थिति से एवं नोटशीट की प्रति पूर्णतः जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध कराये। जहॉ तक सहायक यंत्री के अतिरिक्त अन्य पदों की जानकारी का प्रश्न है आवेदिका जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, नियमानुसार जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

यह कि आवेदिका द्वारा इस तरह के संविलियन के आवेदनों को मान्य करते हुए जारी किये गये समस्त आदेशों की प्रमाणित प्रति का प्रश्न है, पूर्व विवेचन के प्रकाश में आवेदिका द्वारा केवल सहायक यंत्रियों के संविलियन के संबंध में ही जानकारी चाही गई है। अतः उन्हे अन्य पदो व केडर के संबंध में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना तर्क संगत नही है।

अतः यह अपील प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि संबंधित प्रभाग के (Deem Public Information Officer) प्रभाग में उपलब्ध दस्तावेजों का खोजबीन कर, दस्तावेज/जानकारी के वस्तुस्थिति से एवं नोटशीट की प्रति पूर्ण रूप में जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करायें। तद्पश्चात् जनसूचना अधिकारी द्वारा अपील आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर आवेदिका को उक्त जानकारी दस्तावेज/निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 16/2020 दिनांक 15.06.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक —0771—2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –16/2020/29 रायपुर, दिनांक 21/07/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) श्रीमती शोभना सिंह, सड़क नबरं– 40, मकान नबंर–6/बी, सेक्टर–10, भिलाई, जिला– दुर्ग (छ.ग.) पिन– 490006 को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002

(एच.के.पाण्डेय) 21-7-2020
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700